न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2012/12** दायर दिनांक **16.07.2012**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. पूसाराम पुत्र लादूराम, उम्र–62वर्ष, 2. सुन्दर पत्नी स्व0 हरिराम, उम्र–60वर्ष, 3. अमरी पुत्री हरिराम, उम्र–37वर्ष, 4. सन्तोष पुत्री स्व0 हरिराम, उम्र–24वर्ष, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामूड़ा उर्फ रामलाल पुत्र रतना, 2. किशोरराम पुत्र स्व0 चिमनाराम, 3. जीवणराम पुत्र स्व0 तुलछाराम, 4. राधाकिशन पुत्र स्व0 कुनाराम, 5. सोहनलाल पुत्र कुनाराम, 6. झमकू पत्नी कुनाराम, 7. सीताराम पुत्र कुनाराम, 8. श्रवण पुत्र चिमनाराम, 9. चेनाराम पुत्र कुनाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. सरपंच ग्राम पंचायत–आगून्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. पटवारी हल्का–आगून्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ईस्लामुदीन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **17.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, मौजा बुड़ौद पटवार हल्का आगून्ता में खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा अवस्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 की पेश है। वादीगण के पिता व दादा स्व0 लादूराम स्वर्गवास हो गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 स्व0 हीराराम एवं रतना के वारिशान् हैं। वादीगण स्वर्गीय केशरा हैं जो

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपने मौखिक बन्ट के अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के अलग खसरा नम्बर अंकित हैं जिन पर अलग–अलग काश्त करते हैं और पुराने समय से ही कब्जाकाश्त है।

खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा पर वादी संख्या 01 पूसाराम का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 02 सुन्दर पत्नी हरिराम, वादीगण संख्या 03 अमरी पुत्री हरिराम, सन्तोष पुत्री हरिराम वादीगण संख्या 04 का 1/2 हिस्सा अनवरत् चला आ रहा है। इसी अनुरूप वादीगण का करते हैं जिनके पडौस निम्न प्रकार है:– अगूणी दिशा में परसाराम एवं राजू तथा आथूणी दिशा में रणजीता गौरी की जायगा तथा उतरादा मल्लू देशवाली और दक्षिण में रामूड़ा उर्फ रामलाल की जायगा अवस्थित है।

वादीगण ही मुतनाजा खेत के कानूनन् खातेदार है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। मुतनाजा खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा वादीगण का वक्त जागीर से पैतृक कब्जाकाश्त है जिसकी खसरा गिरदावरी में वादीगण के दादा स्व0 लादूराम/हीराराम का नाम दर्ज है मगर प्रतिवादी संख्या 01 रामूड़ा उर्फ रामलाल बेहद चालाक किश्म का व्यक्ति है जिन्होंने उक्त जायगा में स्वर्गीय कुन्ना के वारिशान् का नाम लिखवा दिया जबकि वादीगण के अलावा उक्त जायगा पर अन्य किसी का कब्जाकाश्त नहीं है। इसी प्रकार वादीगण के जायद अधिकारों पर प्रतिवादी संख्या 01 ने कुठाराघात किया है।

उक्त जायगा पर केवल मात्र वादीगण का ही कब्जाकाश्त है इसलिए अन्य प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरस्ती करना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का नाम गलती से दर्ज हो जाने से वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल कर देने की नियत से दिनांक 15.07.2012 को वादीगण के खेत में सूड करने से मना किया जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर काले बादल मण्डराने लग गये हैं। इस कारण वादीगण को उक्त सम्पूर्ण को घोषणा खातेदारी का दावा करना जरूरी हो गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का हित उक्त जायगा में बिल्कुल नहीं है क्योंकि अन्य खसरान् पर उनका कब्जाकाश्त है जिनपर काफी समय से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है।

बिनाया दावा मुतनाजा खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा जो वादीगण के पैतृक कब्जाकाश्त का खेत है, की खातेदारी गलती से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के नाम गलत दर्ज हो जाने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को खेत में सूड़ करने से मना करने से व बेदखल करने की धमकी देने पर वादीगण द्वारा दिनांक 16.07.2012 को नकल प्राप्त करने पर पैदा हुआ।

प्रार्थना वादीगण है कि–

मौजा ग्राम बुड़ौद में खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/12
दायर दिनांक 16.07.2012, निर्णय दिनांक 17.07.2017
पूसाराम, वगैरा बनाम् रामूड़ा उर्फ रामलाल, वगैरा।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 हाजिर अदालत होकर दिनांक 17.07.2017 को राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी लोभ लालच के पक्षकारान् द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान् अधिकवक्ता श्री पूरणसिंह बोहरा ने व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की पहचान अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक– ग्राम बुड़ौद पटवार हल्का आगुन्ता भू–अभिलेख निरीक्षक खुनखुना में खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी का वादी संख्या 01 पूसाराम पुत्र लादूराम तथा 1/2 हिस्सा उत्तरी का वादीगण संख्या 02 ता 04 सुन्दर पत्नी स्वर्गीय हरिराम, अमरी पुत्री स्वर्गीय हरिराम, सन्तोष पुत्री स्वर्गीय हरिराम को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का नाम उक्त खातेदारी से हटाया जावे।

वाद के समर्थन में जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2068–2071 तक की खेवट संख्या 13/11 खसरा संख्या 260 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश हुई।

पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व राजीनामा अनुसार, वादीगण का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादीगण के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया होने से वादीगण का वाद राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद विवचेन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद बुड़ौद में खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर, 1/2 हिस्सा दक्षिणी भू–भाग का वादी संख्या 01 को तथा 1/2 हिस्सा उत्तरी भू–भाग का वादीगण संख्या 02 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 17.07.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2012/12 दायर दिनांक 16.07.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. पूसाराम पुत्र लादूराम, उम्र–62वर्ष, 2. सुन्दर पत्नी स्व0 हरिराम, उम्र–60वर्ष, 3. अमरी पुत्री हरिराम, उम्र–37वर्ष, 4. सन्तोष पुत्री स्व0 हरिराम, उम्र–24वर्ष, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामूड़ा उर्फ रामलाल पुत्र रतना, 2. किशोरराम पुत्र स्व0 चिमनाराम, 3. जीवणराम पुत्र स्व0 तुलछाराम, 4. राधाकिशन पुत्र स्व0 कुनाराम, 5. सोहनलाल पुत्र कुनाराम, 6. झमकू पत्नी कुनाराम, 7. सीताराम पुत्र कुनाराम, 8. श्रवण पुत्र चिमनाराम, 9. चेनाराम पुत्र कुनाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. सरपंच ग्राम पंचायत–आगून्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. पटवारी हल्का–आगून्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

दिनांक 17.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादीगण व श्री ईस्लामुदीन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद बुडौद में खसरा नम्बर 260 रकबा 13 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर, 1/2 हिस्सा दक्षिणी भू–भाग का वादी संख्या 01 को तथा 1/2 हिस्सा उत्तरी भू–भाग का वादीगण संख्या 02 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.07.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner